कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.12.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 03, थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.12.2023

साइकिल चोरी करने का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद चोरी की साइकिल बरामद -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चोरी/लूट में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर साइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त अनिरूद्ध गौतम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 02 अदद साइकिल बरामद की गई। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 29.11.2023 को वादी सोनू का साइकिल चोरी कर ली थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिरुद्ध गौतम पुत्र हरिश्चंद्र निवासी ग्राम खाले झझरी थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

अनावरित अभियोग-

01. मु०अ०स० 376/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद साइकिल चोरी की बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

जनपद गोण्डा में ई-आफिस की होगी शुरुआत, पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग, ई-आफिस के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल ने की समीक्षा बैठक

ई आफिस के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल ने की समीक्षा बैठक कर ई-आफिस की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जनपद गोण्डा में ई-आफिस प्रणाली लागू करने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। एक सप्ताह के अन्दर जनपद गोण्डा में ई-आफिस प्रणाली लागू कर दी जायेगी।

अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज ने बताया की सभी कार्य ऑनलाइन कंप्यूटर पर किए जाएंगे। पेपर-लेश ढंग से प्रार्थना पत्र, पासपोर्ट, अपराधिक फाइल, त्यौहार फाइल रिकॉर्ड से लेकर सभी प्रकरणों में ऑनलाइन रिपोर्ट व निस्तारण किया जाएगा। जल्द ही जिले के सभी थाने को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा से ऑनलाइन काम करने में समय की बचत होगी। वहीं इसमें पारदर्शी आएगी अगर कोई भी फाइल पेंडिंग होगी तो उसकी जानकारी ऑनलाइन वरिष्ठ अधिकारीयों को रहेगी। डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करके आगे भेज दी जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सारा डाटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल गोण्डा

दिनांक 01.12.2023

ऑपरेशन कनविक्शन व मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से हुई लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप लड़की बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 10.05.2016 को थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत एक आरोपी अभियुक्त मौलाना शफीक अहमद द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोला नाथ द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. मौलाना शफीक अहमद पुत्र शब्बीर अली निवासी कोल्हमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0- 123/2016, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।